

न्यायालय जिला कलक्टर, जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं० 05/2025 (GCMS 2025/5)

अपीलांट	बनाम	रेस्पोंडेण्टगण
1. श्री देउराम पुत्र हलुराम 2. ताराराम पुत्र हलुराम जाति भील निवासी रामा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।		1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, फतेहगढ़।

अधिवक्ता :

- श्री एम. एल. पंवार अधिवक्ता अपीलांट
- ना० तहसीलदार (पैरोकार राज) रेस्पोंडेण्ट

दिनांक:- 11.03.2026

--:निर्णय:-

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बविरुद्ध तहसीलदार फतेहगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 49/2024 अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में पारित निर्णय दिनांक

30.09.2024

अपील के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी द्वारा संवत् 2081 में ग्राम ख्याला के खसरा नम्बर 214, 218, 219 व 249 में रकबा क्रमशः 18-14, 37-12, 68-06, 117-05 बीघा भूमि किस्म बंजड़ व बारानी में रकबा क्रमशः 15 30, 60, 20 बीघा भूमि पर अपीलांट द्वारा तारबंदी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ़ द्वारा अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बगैर प्रकरण संख्या 49/2024 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 30.09.2024 को निर्णय पारित कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर तीन माह का सिविल कारावास और वार्षिक लगान रूपये 7.75/- का पचास गुणा 388/- रूपये का जुर्माना आरोपित किया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरुद्ध त्वरित गति से कार्यवाही कर निर्णय पारित कूरने में कानूनी एवं तथ्य संबंधी बड़ी भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम ख्याला के खसरा नम्बर 217 में रकबा 4.6598 हैक्टेयर भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है और खसरा नम्बर 214, 218, 219 व 249 में रकबा क्रमशः 18-14, 37-12, 68-06, 117-05 बीघा भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि के लगती हुई राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांट के खातेदारी खेत का कोई सीमाज्ञान नहीं किया गया है इसलिए अपीलांट ने मौके पर फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी करवायी थी। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर कोई काश्त नहीं की गई है। अपीलांट ने अपील में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर न देकर दिनांक 30.09.2024 को एक तरफा निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी होने तथा इसकी नकल प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।



न्यायालय जिला कलक्टर, जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं० 05/2025 (GCMS 2025/5)

रेस्पोडेण्ट तहसीलदार फतेहगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ़ के प्रकरण संख्या 49/2024 में ग्राम ख्याला के खसरा नम्बर 214, 218, 219 व 249 में रकबा क्रमशः 15 30, 60, 20 बीघा कुल 125 बीघा भूमि पर अतिक्रमी देउराम पुत्र हलूराम व ताराराम पुत्र हलूराम के विरुद्ध जुर्माना और बेदखली एवं कारावास का निर्णय न्यायालय तहसीलदार, फतेहगढ़ द्वारा दिनांक 30.09.2024 को पारित किया गया था। अतिक्रमी द्वारा उक्त राजकीय भूमि को अभी तक खाली नहीं किया गया है।

अधिवक्ता अपीलांत वक्त बहस अनुपस्थित। रेस्पोडेण्ट की ओर से राज पैराकार (नायब तहसीलदार) उपस्थित। रेस्पोडेण्ट के द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांत के द्वारा ग्राम ख्याला के खसरा नम्बर 214, 218, 219 व 249 में रकबा क्रमशः 15 30, 60, 20 बीघा कुल 125 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिस संबंध में आलोच्य निर्णय रेस्पोडेण्ट द्वारा उन्हें प्राप्त अधिकारों के तहत पारित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करने का विनिश्चय किया गया। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवादग्रस्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांत का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक एवं अधिकार निहित होने के कोई साक्ष्य दस्तावेज अपीलांत द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने के कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय यथावत रखा जाता है।

उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




जिला कलक्टर,
जैसलमेर